

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून: दिनांक: 23 मई, 2020

विषय— कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु तालाबन्दी की अवधि में श्रमिकों के आवागमन तथा औद्योगिक ईकाइयों के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 12 अप्रैल, 2020 के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित किये जाने हेतु वर्तमान में जारी तालाबन्दी की अवधि में श्रमिकों के आवागमन तथा औद्योगिक ईकाइयों के संचालन के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश, "Regarding issuance of passes to workers engaged in the manufacturing of permitted categories, the State/UT Government are advised to expeditiously issue passes on the basis of authorizations issued by companies/organizations. The state/ UT Government shall ensure that these passes are honored both for movement within their State/UT and in bordering areas of other State/UTs." के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य उद्योगों/व्यवसायों से प्राप्त अनुरोधों पर उपरोक्त के आलोक में नियमानुसार त्वरित व सकारात्मक कार्यवाही की जाये। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठान गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सामाजिक दूरी व साफ-सफाई आदि के नियमों का अनुपालन तथा ऐसे श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं निगरानी की व्यवस्था करेंगे।

भवदीय,

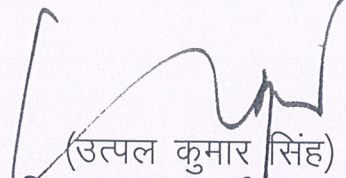
(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को मा. मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सम्बन्धित पत्रावली।



(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी